न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

प्रकरण संख्या/अभ्यावेदन/91/2019 निर्णय दिनांक :–28.03.2019

आदेश

प्रार्थीगण 1. श्री महेश चौमाल पुत्र स्व. चण्डीप्रसाद निवासी वार्ड नम्बर 4 पिलानी। 2. भंवर सिंह परमार पुत्र स्व. मोहन सिहं निवासी वार्ड नम्बर 5 पिलानी। 3. रोहित शर्मा पुत्र कैलाशचन्द निवासी वार्ड नम्बर 14 पिलानी ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत डी. बी. सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) याचिका संख्या 27283/2018 उनवानी महेश चौमाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2019 की पालना करवाने बाबत दिनांक 04.06.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर कस्बा पिलानी तहसील सूरजगढ़ स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 976 में राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाने हेतु निवेदन किया। अभ्यावेदन तहसीलदार सूरजगढ़ के विरूद्ध दर्ज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है।

In view of above, instead of directly entertaining this public interest litigation petition, this Court requires the petitioner to approach the District Magistrate & Collector, Jhunjhunu by filing a detailed representation along with copy of aforesaid order, who shall examine the grievances of the petitioner and do the needful to secure the said land within a period of three months from the date of filing of the representation.

अभ्यावेदन व निर्णय दिनांक 30.04.2019 में वर्णित भूमि की बाबत तहसीलदार सूरजगढ़ से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया तथा प्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई हेतु न्यायालय में तलब किया गया। तहसीलदार सूरजगढ़ ने अपने पत्रांक राजस्व/2019/235 दिनांक 05.07.2019 द्वारा न्यायालय में प्रतिवेदन, फोटोग्राफस तथा विडियो रिकॉर्डिंग पेश की जिसके अनुसार राजस्व ग्राम पिलानी के पुराने खसरा नम्बर 741 के नये नम्बर 976 है। ग्राम पिलानी के नये खसरा नम्बर 976 रकबा 10.8700 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ की खातेदारी जमाबन्दी संवत् 2074–2077 में गैर मुमकीन मरघट हिस्सा 21/1087, सीताराम भण्डार हिस्सा 1066/1087 खातेदार के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त विवादित भूमि पर 185 व्यक्तियों व अन्य द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसमें पुलिस चौकी पिलानी, रोडवेज बस स्टेण्ड, सार्वजनिक उपयोग का श्मशान घाट तथा अधिकांश ने वाणिज्यिक रूप में व आवासीय मकानात के रूप में अतिक्रमण करना बताया है।

प्रार्थी श्री महेश चौमाल व श्री देवी सिहं सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित आयें। प्रार्थीगण ने दौराने सुनवाई एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में सूरजगढ़ तहसीलदार श्री सुभाष चन्द्र गौयल छुटटी पर है व चार्ज बुहाना नायब तहसीलदार रूपचन्द मीणा के पास है। अतिक्रमियों की सर्वे रिपोर्ट व विडियों रिर्कोडिंग नायब तहसीलदार रूपचन्द मीणा, गिरदावर रामस्वरूप व पटवारी राजेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा तैयार की गई है जो कि सरासर गलत है। अतः फिर से सर्वे अन्य तहसीलदार पटवारी व गिरदावर से करवाने की व्यवस्था करें ताकि अतिक्रमण हटाने में अवरोध उत्पन्न ना हो। उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में बहस होने के समय पेश किया। प्रार्थीगण को सुना गया। प्रार्थीगण द्वारा

जिला कलेक्टर झुन्झुनू

प्रार्थना पत्र में जो बिन्दु अंकित किये है उनको वैध माना जावें ऐसा कोई दस्तावेज या कारण प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पुनः सर्वे करवाये जाने का खारिज किया जाता है।

बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत डी.बी. सिविल रिट पिटिशन (पी.आई.एल.) याचिका संख्या 27283/2018 उनवानी महेश चौमाल बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2019 की पालना करवा कर कस्बा पिलानी स्थित भूमि खसरा नम्बर 976 रकबा 10.8700 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ में किये गये अतिक्रमण को हटाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, माननीय उच्च न्यायलय के निर्णय तथा तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन व विडियों रिकॉर्डिंग का भी अवलोकन किया तहसीलदार सूरजगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पिलानी के पुराने खसरा नम्बर 741 के नये नम्बर 976 है। ग्राम पिलानी के नये खसरा नम्बर 976 रकबा 10.8700 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ की खातेदारी जमाबन्दी संवत् 2074–2077 में गैर मुमकीन मरघट हिस्सा 21/1087, सीताराम भण्डार हिस्सा 1066/1087 खातेदार के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त विवादित भूमि पर 185 व्यक्तियों व अन्य द्वारा का अतिक्रमण किया गया है, जिसमें पुलिस चौकी पिलानी, रोडवेज बस स्टेण्ड, सार्वजनिक उपयोग का श्मशान घाट तथा अधिकांश ने वाणिज्यिक रूप में व आवासीय मकानात के रूप में अतिक्रमण कर रखा है। विडियों रिकॉर्डिंग व फोटोग्राफ से विवादित भूमि पर सघन रूप से तथा काफी पुराना अतिक्रमण होना प्रतीत होता है, जिसमें सरकारी दफ्तर, बस स्टेण्ड, दुकानें, आवासीय मकानात इत्यादि बने हुए है। ऐसे में विवादित भूखण्ड पर किये गये अतिक्रमण को पूर्णतया हटाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अभ्यावेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर ऐसे अतिक्रमण जैसे सरकारी दफ्तर, बस स्टेण्ड, श्मशान, आवासीय पक्के मकानात, पक्की दुकानों को छोड़कर शेष तारबन्दी, दीवार, टीनसेड, बाड़, गुमटियां (खोखे), पत्थरों का ढेर, मलबा, अस्थाई तिरपाल, रेहड़ियां, दुकानों के आगे पड़ा अस्थाई सामान, हॉर्डिगं, कच्चे आवास, चबुतरे (खुर्रे) तथा जीर्ण शीर्ण निर्माण आदि प्रकार के किये गये अतिक्रमण को हटाया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति पालना हेतु तहसीलदार सूरजगढ़ को प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 28.08.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलक्टर,झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुन्झुनू